





"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

## दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 26 मार्च 2025 बुधवार

### सम्पादकीय

## ‘ग्रोक’ पर रोक आसान नहीं

कुछ सालों तक एलेक्सस से खेलने के बाद अब भारतीयों को ग्रोक नाम का नया विदेशी खिलौना मिल गया है। ‘टिवटर’ जिसे अब ‘एक्स’ कहते हैं, के मालिक एलन मस्क की कम्पनी ने ए.आई. के इस चैट-बॉट को बनाया है। गूगल का जैमिनी, ओपन ए.आई. का चैट-जी.पी.टी., फेंसबुक का मेटा आई और चीन का डीप-सीक भारत के बाजार में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस लिहाज से फरवरी 2025 में लांच ग्रोक के तीसरे वर्जन की लोकप्रियता और सफलता अप्रत्याशित है। पहले इसका इस्तेमाल भुगतान से प्रीमियम ग्राहक ही कर सकते थे। लेकिन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में उस्ताद मस्क ने ग्रोक को आम यूजर के लिए खोलकर एक महीने के ही खूब घघटत बना दिया है। भारत में ‘एक्स’ के 3 करोड़ से ज्यादा यूजर के साथ अन्य लोग वेबसाइट के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लोकप्रियता के 3 बड़े कारण हैं, पहला, यह वास्तविक समय के अनुसार नवीनतम जानकारी और जवाब देता है। दूसरा, सुपर कम्यूनिटी के माध्यम से तीसरे वर्जन की स्पीड 10 गुना बढ़ने से इससे त्वरित जवाब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तीसरा, दूसरे ए.आई., प्लेटफार्म जिन बाजार का जवाब देने से वंचित है, उनका व्यवपूर्ण और मजाकिया शैली में ग्रोक जवाब देता है। लेकिन कविता, कहानी या लेख लिखने के लिए चैट जी.पी.टी. और तकनीकी, कोडिंग और गणित के सवालों के जवाब के लिए डीप सीक को अभी भी बेहतर चैटबॉट प्लेटफार्म माना जाता है।

सरकार समर्थक और विरोधी खेमे में धुवीकरण वाले भारतीय मीडिया में तथ्य, तथ्य, विवेक और संतुलन के अभाव की अजब से ग्रोक को कई लोग जागरूक मीडिया का विकल्प मानने लगे हैं। उनके अनुसार ग्रोक से कड़वे सच उजागर हो रहे हैं। लेकिन इसे सरकार का आलोचक या लोकतंत्र का रक्षक मानने की बजाय इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि ग्रोक दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी का मार्केटिंग टूल है। कड़वी हकीकत यह भी है कि ग्रोक की कठपुतली के ऑप्रिंटिंग सिस्टम और पूर्वाग्रहों को अमरीका में बैठे कारोबारी मिनटों में बदल सकते हैं। इसलिए इसकी सफ लता के पीछे के जिनसेस मॉडल को समझने की जरूरत है। परअसल ग्रोक इंटरनैट में उपलब्ध अपडेटेड रियल टाइम जानकारी और डाटा के अनुसार सटीक जवाब देता है। ग्रोक यूजर के ‘एक्स’ की पोस्ट, लोगों की प्रोफाइल और लिंक का तुरंत विश्लेषण कर सकता है। प्रोसेसिंग के हर चरण में डीप सच जैसे टूल्स की मदद से रीजनिंग के इस्तेमाल से यह अपनी गलतियों को सुधार कर जवाब को बेहतर बनाता है। ग्रोक की भाषा अर्निल्लेटर्ड है इसलिए यह गुर्रसे, गाली या मजाक वाले कई सवालों का सल्लैंग और छिछोरे लहजे में जवाब देता है। ‘एक्स’ के यूजरस ग्रोक के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में सीधी बहस कर सकते हैं, इसलिए यह बहुत तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रहा है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में टिवटर के साथ कई विवाद हुए थे। टिवटर के सी.ई.ओ. के खिलाफ पुलिस से एक आई.एच.पी. दर्ज हो गई थी। आई.टी. मंत्री ने टिवटर के सफ हार्बर सुरक्षा कवच को हटाने की धमकी भी दी थी। लेकिन उसका बाद टिवटर का स्वागतिक मस्क के पास आ गया जिन्होंने इसका नामकरण ‘एक्स’ कर दिया। गूगल, एमजॉन और मेटा जैसी कम्पनियां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी देती हैं। लेकिन ‘एक्स’ सरकार की एजेंसियों के साथ सहयोग करने से इंकार कर रही है। टैक्स कम्पनी ने कनार्टक हाईकोर्ट में भारत सरकार के चुनौती प्लेटफार्म और आई.टी. कानून की धारा-79 (3)(डी)को हतोत्तरी देकर आक्रामक रवैया अपनाया है। भारत में रोकना मुश्किलर आई.टी. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि अपराधों का इस्तेमाल करने के लिए ग्रोक की कम्पनी को सरकार ने नोटिस जारी किया है। आई.टी. नियमों के अनुसार ग्रोक की कम्पनी को भारत में इंटरमीडियरी का कानूनी दर्जा मिला है। उसके अनुसार उर शिकावत अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ भारत के कानून का पालन करना जरूरी है। भारत या फिर अमरीका में, ग्रोक के लिए सरकार ने किसे नोटिस जारी किया है?

ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, सट्टेबाजी और ओ.टी.टी. के हिंसक कंटेंट को रोकने की बजाय सरकार ग्रोक के मनमौजीपन पर लगाम कसने का दिखावा कर रही है। लेकिन वर्तमान पर कानूनी सिस्टम के तहत व्यापारिक मोहल्ले में ग्रोक को भारत में ब्लॉक करना मुश्किल है। मस्क के सैटेलाइट इंटरनैट के भारत में कारोबार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अनेक अप्रत्याशं जाहिर की थीं। अब लाइसेंस मिले बगैर एयरलैट और जियो के कंधे पर चढ़कर मस्क की रफ्तक पर कम्पनी भारत के कारोबार में प्रवेश कर रही है। टैरिफ वार के नए युग में ग्रोक जैसे विदेशी खिलौनों के कारोबार से भारत को बड़े पैमाने पर आमदनी हो सकती है। ग्रोक की भाषा यदि आंतरजिनक है तो उसके साथ पॉर्नोग्राफीकल कॉमेडी भी आती है। इसका जो डोहराकार और अश्लील कंटेंट के खिलाफ भी भारत सरकार को उल्लास करवाई करनी होगी।

# योगी सरकार के 8 वर्ष उपलब्धियां और चुनौतियां



—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं जबकि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना आठ साल पूरा कर चुके हैं। यूपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड भी योगी के नाम हो गया है। करीब 24 करोड़ आबादी को यदि योगी से पूर्व की सरकारों के तौर तरीकों की याद होगी तो वह जानते होंगे कि आठ साल पहले प्रदेश का क्या हाल था। यूपी की गणना बीमारू राज्य के रूप में होती थी। साम्प्रदायिक हिंसा, संघटित अपराध, दंगवां के बल पर जमीन पर कब्जा अखिलेश सरकार की पहचान थी। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिये जाते थे। लुट्टिकरण समाजवादी सरकार की पहचान बन गई थी। दंगा पीड़ितों को उनका धर्म देखकर मुआवजा बांटने का कारनामा भी अखिलेश सरकार द्वारा किया गया था। सभा के नेता बानो वरुन में गुंडागर्दी करने से घबरते नहीं थे। आज जमान जैसे समाजवादी नेताओं की बदजुगानी के किस्से आम थे। हिन्दू देवी देवताओं का अपमान समाजवादी सरकार की आदत बन गई थी। हाल यह है कि आठ साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अखिलेश की राजनीति नहीं बदली है। विकास के लालच पर अखिलेश एक्सप्रेस व ओर लगभग में मेट्रो के अलावा कुछ नहीं मिल पाते थे।

एक वह दौर था जब प्रदेश की जनता ग्राहमान कर रही थी तो अब काइलों में विकास नहीं चल रहा है, बल्कि जमीन पर फलफूल रहा है। अखिलेश की टोके जा रहे हैं। मू



माफियाओं से कब्जाई जमीन वापस ली जा रही है। संघटित अपराध करने वालों को चुन चुनकर मार दिया जा रहा है। मगर पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के प्रति धारणा बदलने में सफलता प्राप्त की है। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज व्यवसाय एवं निवेश का सर्वश्रेष्ठ ठिकाना बनकर देश और दुनिया में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज ‘ग्रोथ गिगर’ है। हर विरासत में आरजकता, अव्यवस्था और अपराध। क के अंधकार में डूबा हुआ प्रदेश मिला था। ऐसे राज्य को सुरक्षित परिवेश, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुगम कनेक्टिविटी और उद्यम अनुकूल नीतियों द्वारा निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने में हम लोग सफल रहे। विगत आठ वर्षों में प्रदेश को प्राप्त हुए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव इसकी पुष्टि करते हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को बरातल पर उतारा जा चुका है। इनके माध्यम से 80 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। स्थापित सत्य है कि सुरक्षा के

सुथ पर ही विकास कुलोंब भरता है और सुथम कनेक्टिविटी उसे तीव्रता प्रदान करती है। ‘नया उत्तर प्रदेश’ उसका जीवंत उदाहरण है। महान वित्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास ही अंत्योद्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की हर योजना में यह भाव स्वयं होता है। यही कारण है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश सरकार ने छह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के 15 करोड़ निधनों को प्रतिभा निःशुल्क अमन, 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को प्र. गान्मन्त्री किसान समान निधि का भना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.21 करोड़ लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का फिकिस्ता सुखा कवच, 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास देने अनेक कल्याणकारी उपहारों ने प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। सभी को आवास के संकल्प की सिद्धि के लिए प्र

गान्मन्त्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी को आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया है, जिनके पास भूमि नहीं थी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। यही तो है अंत्योद्यम। आजादी से लेकर 2017 तक प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज राज्य में 44 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 36 निजी मेडिकल कॉलेजों सहित 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन आरंभ हो गया है। ‘एक जनपद—एक मेडिकल कॉलेज’ की संकल्पना उत्तर प्रदेश में साकार हो रही है। प्रदेश में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। मार्च, 2017 से अब तक तीन नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है। छह चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का भना विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 125 लाख लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। आठ वर्षों में 46.50 लाख जमान किसानों को 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निर्यातक महिला पैसा योजना, प्र

गान्मन्त्री मातृ वंदन योजना, पी.एम. स्वनिधि योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाएं मातृशक्ति के जीवन में सकारात्मक का संवेश लेकर आई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ने के साथ ही सार्वजनिक विवरण प्रणाली के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2,510 उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण करवाया गया है। वर्ष 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी जो अब तीन प्रतिशत है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये विभिन्न आयोगों एवं मती बोर्ड द्वारा साठे आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। इनमें से 1.38 लाख से अधिक महिलाएं हैं। परीक्षाओं के सुविधापूर्ण परीक्षा (अनुचित साधनों का उपयोग) कानून लागू किया गया है, जिससे छात्रों के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास जागा है। आठ वर्ष हमारी आस्था, अस्मिता, अखंडता और संस्कृतिक चेतना के उन्मयन का ऐतिहासिक कारखंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते आठ वर्षों में प्रदेश में एक भी चना टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल-पेट्रोल बंद में सबसे कम है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए स्रोतम चढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे रामराज्य की अवधारणा ही है।

खैरगढ़ी राज में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कहां यह भी तक रहा है कि प्रदेश की सता योगी जग केन्द्रित हो कर रह गई है। बीबीपी टके के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। योगी का सख्त आदेश है कि कोई विवाद सफाई कर ले कर किसी अधिकारी या थाना-चौकी पर नहीं जायेगा, परिणाम स्वरूप यूएफसीओ और पुलिस निरस्त हो गई है। योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने और नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। सरकारी नौतियों में देशी, पेंपर लोक की घटनाएं और युवाओं को अपेक्षित संख्या में नौकरियां न मिलना एक बड़ी चुनौती रही है। वही योगी सरकार ने भद्राचार पर नकेल कसने के दावे काफ़ी किए, लेकिन कई विभागों में रिश्तबख्तरी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें बनी हुई हैं। खासकर तहसील, थाने और नगर निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई बढ़ी है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलने, फसलों के उचित दाम न मिलने और बिजली की बढ़ती दरों से किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए ठोक दां नीति अपनाई, लेकिन पुलिस की मनमानी, फर्जी एफ.आई.आर. और निंदीय लोगों पर अत्याचार के आरोप भी उगे। थानों में दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सुनवाई न होने की शिकायतें अक्सर आती हैं। देशी योगी सरकार की बुलडोजर नीति को एक तरह सख्त कार्रवाई का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन विषय इससे पहातपूर्ण और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई में प्रदेश में एक भी चना टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में डीजल-पेट्रोल बंद में सबसे कम है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए स्रोतम चढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे रामराज्य की अवधारणा ही है।

खैरगढ़ी राज में तमाम अच्छे कार्य हो रहे हैं तो कहां यह भी तक रहा है कि प्रदेश की सता योगी जग केन्द्रित हो कर रह गई है। बीबीपी टके के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। योगी का सख्त आदेश है कि कोई विवाद सफाई कर ले कर किसी अधिकारी या थाना-चौकी पर नहीं जायेगा, परिणाम स्वरूप यूएफसीओ और पुलिस निरस्त हो गई है। योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने और नए उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। सरकारी नौतियों में देशी, पेंपर लोक की घटनाएं और युवाओं को अपेक्षित संख्या में नौकरियां न मिलना एक बड़ी चुनौती रही है। वही योगी सरकार ने भद्राचार पर नकेल कसने के दावे काफ़ी किए, लेकिन कई विभागों में रिश्तबख्तरी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें बनी हुई हैं। खासकर तहसील, थाने और नगर निकायों में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

## बिना जरूरत के बढ़ते आपरेशन



—प्रियंका सौरभ—

क्या आपको मालूम है कि सिजीरियन डिलीवरी, या सी-सेक्शन, दुनिया में सबसे अधिक की जाने वाली सर्जरी है? सिजीरियन सेक्शन बानाम नार्मल डिलीवरी का विषय काफ़ी चर्चा में रहता है, खासकर तब जब इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग होने लगे। कुछ लोग इसे एक ‘विजनेस मॉडल’ मानते हैं, तो कुछ इसे मेडिकल साइड की उपलब्धि के रूप में देखते हैं। सिजीरियन सेक्शन एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जो तब की जाती है जब सामान्य (नार्मल) डिलीवरी संभव न हो या फिर और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो। लेकिन आजकल कई जगहों पर यह मेडिकल जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है, खासकर निजी अस्पतालों में, जहाँ इसे जल्दी और सुविधाजनक समाधान के रूप में देखा जाता है। सिजीरियन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब यह व्यावसायिक फायदे के लिए या बिना ठीक मेडिकल वजह के किया जाता है, तब यह बिना का विषय बन जाता है। सही जगह तकनीक और जिम्मेदारी से इसका उपयोग होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारत सहित कई देशों में सिजीरियन की दर तेजी से बढ़ी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, केवल 10-15% मामलों में सिजीरियन आवश्यक होता है, लेकिन कई देशों में यह दर 50% या उससे अधिक हो चुकी है। भारत में कई निजी अस्पतालों में यह दर 50-80% तक बढ़ी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के निजी



अस्पतालों में सिजीरियन डिलीवरी की दर 40-50% तक पाई गई, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह लगभग 20-25% थी। स्वास्थ्य भाषा योजना और जलनी-निशु-सुखा कार्यक्रम जैसी योजनाओं में बिना आवश्यकता के मरीजों की सर्जरी कर दी जाती है, क्योंकि ऐसी योजनाओं में जो तो प्रोत्साहन राशि मिलती है, या फिर बीमा कम्पनी को लाभ होता है। इनमें सिजीरियन, हार्मिया, गॉलवेडर, अपेडिक्स आदि से सम्बंधित मामले शामिल हैं। यह दुखद है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा शोषण गर्भवती महिलाओं का होता है। सिजीरियन डिलीवरी का खर्च सामान्य डिलीवरी से 2-5 गुना अधिक होता है। कुछ डॉक्टर निजी अस्पतालों में अपनी सुविधा के अनुसार डिलीवरी शोल्डर करना पसंद करते हैं। कुछ महिलाओं को लेकर वक का इतना उर होता है कि वे खुद सिजीरियन करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कई बार मरीजों को डराकर यह बताया जाता है कि बच्चा खराब है, जिससे वे डरकर सिजीरियन के लिए मजबूर हो जाती हैं।

कई मामलों में सिजीरियन जरूरी होता है, जैसेक बच्चे की पोजिशन सही न हो, जैसे डीलिवरी में जटिलता के दौरान प्रोब्लम हो, जैसे प्लेसेंटा प्रीप्रिया, गर्भनाल का फेंसिंग। मैं को गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो और तुरंत डिलीवरी जरूरी हो। पहले भी सिजीरियन हो चुका हो और नार्मल डिलीवरी सुगुलित न हो। लेकिन जब बिना किसी ठीक मेडिकल वजह के सिर्फ ऐसे मामलों के लिए सिजीरियन किया जा रहा हो, तो यह नैतिक रूप से गलत है। कई प्राइवेट अस्पताल सिजीरियन को प्रार्थमिकता देते हैं क्योंकि यह जल्दी हो जाता है और अधिक खर्च नहीं होता है। महिलाओं का डर और जागरूकता की कमी के चलते कई महिलाएँ दर्द से बचने के लिए सिजीरियन चुन लेती हैं, जबकि नार्मल डिलीवरी अधिक लाभदायक होती है। महिलाओं को इस बारे जागरूक किया जाए, जल्दिये नार्मल डिलीवरी को प्रार्थमिकता दें। डॉक्टर को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सिजीरियन करना चाहिए। प्राणतिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे गर्भवस्था के दौरान योग और सही डाइट ताकि नार्मल डिलीवरी आसान हो सके।

इन सबके साथ-साथ सरकार को सख्ती से नियम लागू करने चाहिए, ताकि अनावश्यक सिजीरियन कम हो।

## क्या है ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’

—क्षमा शर्मा—

पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक किशोरी के मामले में विवादास्पद फैसला दिया। मामला नवम्बर 2021 में उत्तर प्रदेश के कामसज शहर का है। लड़की की मां का कहना है कि शाम के वक्त वह अपनी 14 वर्षीय लड़की के साथ अपनी देवरानी के गांव से लौट रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुका, जिस पर 3 लड़के पवन, आकाश और अशोक बैठे हुए थे। एक लड़के ने मां से कहा कि वह लड़की को उसके साथ जाने दे। वह उस दिशात घूर छोड़ देता। मां ने उसकी बात पर विश्वास किया और बच्ची को उनके साथ जाने दिया। रास्ते में इन 3 लड़कों ने बच्ची के साथ अपराध को अंजाम दिया। उसके स्तन खींचे। उसका नाइ खींचकर तोड़ दिया और पुलिस को नीचे खींचकर ले जाने लगे। लड़की रोने लगी। तभी वहां से टैक्टर पर गुजर कर 2 लोगों ने लड़की का रोना सुना तो तीनों उन दोनों को बंधा और मोटरसाइकिल पर बैठा। इन तीनों में मुख्य अपराधी पवन के पिता से जब लड़की की मां ने शिकायत की तो उन्होंने उसे धमकी दी।

इसके बाद लड़की की मां थाने पहुंची लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। तब यह मामला कामसज की विशेष कोर्ट में पहुंचा जहां पवन और आकाश नामक लड़कों पर बलात्कार और पींसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में उत्तर दिने टैक्टर पर आने दोनों गवाह बने। तब अभियुक्तों ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। और फैसला देखिए पढ़ें! किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो? कल को तो लोग सड़क-सड़क, मोहल्ले में ऐसा करने लगेंगे क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला पढ़े ही दिया होगा है जहां लड़कीयों से इस तरह का बर्ताव अपराध की श्रेणी में नहीं आता।



यह निर्दयी भी दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ कड़े उपायों के इरादे हैं तहत गम्भीर गाने हमले के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि कल को कोई किसी लड़की को चलाती जाए, बस या लड़को से खींचकर ले जाए, उसके ऑन- प्रत्यंग छुए, उसे किसी निरपेक्ष स्थान पर से जाए तो इन्हें बलात्कार की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए। एक तरह विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार लड़की को कोई अश्लील चित्र या कॉर्नू दिखाया अथवा उससे कोई शब्द मजाक करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नए दुष्कर्म कानून के अनुसार लड़की या स्त्री को 14 कैसैंटें धरूना तक अपराध है। ऐसे में इस नाबालिग लड़की के स्तनों को खींचना, उसका नाइ खोलना, उसे पुलिस को नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश क्या किसी अश्लील मंशा से की जा रही थी? और बच्ची को जा रही थी? एक तरह लड़की को सुखित घ घोंडेन का वायदा उसकी मां से किया गया था, मगर तीनों लड़कों ने लड़की को अकेली समझ उससे बदमर्तीगी की। आखिर लड़कीयों को इस तरह के अपराधों का सामना क्यों करना पड़ें? किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो? कल को तो लोग सड़क-सड़क, मोहल्ले में ऐसा करने लगेंगे क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला पढ़े ही दिया होगा है जहां लड़कीयों से इस तरह का बर्ताव अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

आखिर जज महोदय इस निर्णय पर पहुंचे कैसे। लड़की का रोना क्या कोई नाटक था या वह इस तरह के बर्ताव को पसंद कर रही थी इसलिए खुशी में रो रही थी। सोचिए कि अगर टैक्टर पर सवार 2 लोग वहां न पहुंचे होते, तो शायद यह बच्ची सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हो गई होती। क्या गुड टच और बैड टच के बारे में जज साहब को मालूम नहीं? क्या निर्भया से लेकर अब तक हमारी सोच कतई नहीं बदली? और यदि न्यायाधीश लोग ही इस तरह के फैसले देने लगेंगे तो यह उच्च न्यायालय की साक्ष का सवाल भी है। जो हम एक प्रगुषादी सोच भी है। यह कम में कहीं गहरी सोच में डूबी हुई है कि लड़की के साथ कुछ भी कर लो, वह हमारा क्या कर लेगी। सिजीरियन घुटने मारते कई ज्ञानी यह भी कह सकते हैं कि आखिर लड़की की मां ने उसे उन लड़कों के साथ ऐसा ही क्यों था।

यानी कि लड़कों के साथ मेजोरी तो ऐसा ही होगा। यह अधिकार लड़कों को कैसे मिला। बच्चियों के प्रति हर रोज होने वाले ऐसे अपराधों से क्या हमारी सड़ ऊपर भी नहीं कांपती? या हम सोच नहीं की वहीं है लड़की अपराध अगर बाहर निकलेगी तो लड़की की शिकाह होगी ही, इसलिए उसे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए या जमान लेते ही खम कर दीजिए। न वे होंगी, न अपराध हों। न रहेगा सच, न बच्ची बांधूगी। और यह सब अपराधों के भार से मुक्त हो जाएगी। लड़की को गलत माल है, उसे निर्विचर करना, खींचकर ले जाना कैसे अपराध। न नहीं है, यह समझ में नहीं आया। क्या अदालतों के सारे पुराने फैसले पलट दिए जाएंगे? कबसे ये तो इन अपराधियों को कायदे सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश महिला आयोग को इसका सवाल बना चाहिए। केंद्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस पर नाराजगी भी प्रकट की है।



कर अन्यथा उचित ताद्वि के अवतान पर किसी की कोई आपत्ति नहीं सुनी जायेगी और प्रार्थना पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक माह सन ई० को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया।



